रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072025-264453 CG-DL-E-08072025-264453

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409] No. 409]

नई दिल्ली, सोमवार , जुलाई 7, 2025/आषाढ़ 16, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 194

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,7 जुलाई, 2025.

सा.का.नि. 452(अ).— केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुक, कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2025 है।
- (2) ये 14 जुलाई, 2025 से लागू होंगे ।
- 2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में ई-प्ररूप संख्या सीएसआर-1 के स्थान पर निम्नलिखित ई-प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

4458 GI/2025 (1)

ई-फॉर्म संख्या सीएसआर-1

सीएसआर क्रियाकलाप करने के लिए इकाईयों का रजिस्ट्रीकरण [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) और धारा 4(2) के अनुसार]



ई-फार्म की भाषा

अंग्रेजी हिंदी

ई-फॉर्म फाइल करने के लिक निर्देश किट देखें

* से चिहिनत सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं

इकाई विवरण

			C	\sim		\sim
1	*इ	का	इ	का	प्रकृ	ात

	·			
))	धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (viक) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित । धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्री कंपनी।			
0	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) धारा 80छ के अधीन अनुमोदित, रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास ।	या उपखंड (viक) के व	अधीन छूट प्राप्त और	
0	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमो	दित, रजिस्ट्रीकृत लो	कि न्यास ।	
)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) धारा 80छ के अधीन अनुमोदित, रजिस्ट्रीकृत सोसायटी ।	या उपखंड (viक) के व	अधीन छूट प्राप्त और	
0	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमो	दित, रजिस्ट्रीकृत स	ोसायटी ।	
0	धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित रजिस्ट्रीकृत	न्यास या रजिस्ट्रीकृत	सोसायटी ।	
0	संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अधीन स्थापित इकाई ।			
	2(क) क्या इकाई किसी कंपनी या कंपनियों के समूह द्वारा स्थापित की गई है	हां 🔘	नहीं 🔘	
	(ख) (i) यदि हां, तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा प्रदान करें			
	कंपनी का सीआईएन कंपनी का नाम			
	जोड़ें			
	(ii) यदि नहीं, तो क्या इकाई के पास इस प्रकार के क्रियाकलाप करने का तीन वर्षों का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है?	हां 🔘	नहीं 🔘	
	3 (क) *विद्यमान इकाई का प्रकार (धारा 8 कंपनी/न्यास/सोसायटी/अन्य) (ख) *सीआईएन/रजिस्ट्रीकरण संख्या (धारा 8/कंपनी के मामले में, सीआईएन दर्ज करें। अन्यथा, रजिस्ट्रीकरण संख्या दर्ज करें) (ग) * इकाई का नाम			

[भाग]	∐—खण्ड ∶	3(i)]	भारत	ा का राज	पत्र : असाधारण		3	
(ঘ) * ়	इकाई के नि	गमन की तिथि (दि	न/माह/वर्ष)					
(ङ) इव	काई का पता					_		
*पता प	पंक्ति 1							
पता पं	क्ति 2							
*देश								V
* पिन	कोड							
* क्षेत्र/	/इलाका							V
* शहर	τ							
ज़िला						[
* राज्य	य/संघ राज्य	क्षेत्र						
(च) * ः	इकाई की ई-	-मेल आईडी					अं	टीपी भेजें
(छ) *ई	ई-मेल आईर्ड	ो के लिए ओटीपी व	रर्ज करें			[нга	गपित
(ज) * :	इकाई का पै	न						
						L		
प्राधिकृ	ृत प्रतिनिधि	ोयों का विवरण						
4 *नि	देशकों/न्यास	ा मंडल/अध्यक्ष/सी	ईओ/सचिव/इकाई	के प्राधिकृ	त प्रतिनिधियों का विवरण	T		
[क्रम सं.	नाम	पद का नाम		डीआईकन / पैन		ईमेल आईडी	
-								
								=
						पंक्ति जो	ड़ें पंक्ति का लोप करें	
संलग्नव	ក							
(a)	*रजिस्ट्रीक	रण प्रमाणपत्र की	प्रति				नाइल चुनें हटाएं ^ह	गउनलोड

हटाएं

(b) *इकाई के पैन की प्रति

मुझे इकाई द्वारा संकल्प संख्या*		गारीख *	0 c 2.
(तारीख/माह/वर्ष) के अधीन इस ई-फॉर्म पर हस्ताक्षर		लेए प्राधिकृत किया गया है कि उपरोक्त ई-प	र्गमें मे
दिए गए विवरण सत्य हैं तथा इकाई द्वारा रखे गए दस्त	तावजा स भा मल खात ह।		
धारा 8/कंपनी के मामले में एक निदेशक द्वारा डिजिटल	ग रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए;	; या	
रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास के मामले में न्यासी/सीईओ में	से किसी एक द्वारा डिजिटल रूप से	ते हस्ताक्षरित होना चाहिए; या	
रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के मामले में अध्यक्ष/सीईओ/सिन	चेव द्वारा डिजिटल रूप से हस्तार्क्षा	रित होना चाहिए; या	
संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अधीन	स्थापित इकाई के मामले में प्राधि	ाकृत प्रतिनिधि द्वारा डिजिटल रूप से हस्ता	क्षरित
होना चाहिए।			
*डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए		डीएससी बाक्स	
*पद का नाम			
(निदेशक/न्यासी/सीईओ/अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि)			
*निदेशक का डीआईएन; या न्यासी या सीईओ या अध्य	गक्ष या		
इकाई का सचिव या प्राधिकृत प्रतिनिधि का डीआईएन	न या पैन;		
है जो इस ई-फॉर्म की विषय-वस्तु है और मैंने उन्हें सत्य गई है। मैं आगे यह भी प्रमाणित करता हूँ कि: 1. उक्त अभिलेख उचित रूप से तैयार किए गए हैं, इव् पाए गए हैं; 2. सभी आवश्यक संलग्नक इस ई-फॉर्म के साथ पूर्णतः अ	काई के अपेक्षित अधिकारियों/प्रार्ा	धिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हैं औ	
3. यह समझा जाता है कि यदि किसी भी स्तर पर कोई अधीन कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।			.48 के
* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए		डीएससी बाक्स	
	्र लागुन लेखाक	गर (पूर्णकालिक वृत्तिक)	
🕽 चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक वृत्तिक)	े सामस संबंध		
	O Mina data	,	
) चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक वृत्तिक)) कंपनी सचिव (पूर्णकालिक वृत्तिक) *चाहे सहायक हो या साथी	O Mind Marie		
) कंपनी सचिव (पूर्णकालिक वृत्तिक)	्र साथी		
) कंपनी सचिव (पूर्णकालिक वृत्तिक) *चाहे सहायक हो या साथी			

वृत्तिक प्रमाणपत्र संख्या	
	सुरक्षित भेजें
टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के कथन/प्रमाणपत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबं	त्र उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिनमें क्रमशः मिथ्या iध है।
केवल कार्यालय के उपयोग के लिए:	
केवल कार्यालय के उपयोग के लिए: ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(i)]

यह ई-फॉर्म प्राधिकृत व्यक्ति और <u>वृतिक</u> द्वारा दिए गए सत्यता के बयान के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर लिया गया है।

[ई-एफ. संख्या 05/03/2022-सीएसआर]

इंद्रदीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

5

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 129 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 644 (अ), तारीख 12 सितंबर, 2014, सा.का.िन. 43 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2015, सा.का.िन. 540 (अ), तारीख 23 मई, 2016, सा.का.िन. 895 (अ), तारीख 19 सितंबर, 2018, सा.का.िन. 526 (अ), तारीख 24 अगस्त, 2020, सा.का.िन. 40 (अ), तारीख 22 जनवरी, 2021 और सा.का.िन. 715 (अ), तारीख 20 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2025.

- G.S.R. 452(E).— In exercise of the powers conferred by section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:-
- 1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2025.

- (3) They shall come into force with effect from the 14th day of July, 2025.
- 2. In the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, for e-form No. CSR-1, the following e-form shall be substituted, namely:—

e-form No. CSR-1

Entity Details

1 *Nature of the Entity

Registration of Entities for undertaking CSR Activities [Pursuant to section 135 of the Companies Act, 2013 and rul

[Pursuant to section 135 of the Companies Act, 2013 and rule and 4(2) of Companies (CSR Policy) Rules, 2014]



e-form language

English Hindi

Refer instruction kit for filing the e-form

All fields marked in * are mandatory

2 (a) Whether the Entity is established by any company or group of companies Yes No

O Company established under section 8 or registered Trust or registered Society established by the

(b)(i) If yes, then provide the details of such company (s)

O Entity established under an Act of Parliament or State Legislature

Central Government or State Government

CIN of Company	Name of Company

Add

(ii) If no, whether the entity has an established track record of three years in O Yes O No

	Authorised	representatives	details
--	------------	-----------------	---------

*State/Union Territory

(f) *E-mail ID of the entity

(g) *Enter OTP for E-mail Id

(h) *PAN of the entity

4 *Details of Directors/ Board of Trustees/ Chairman/ CEO/ Secretary/ Authorised Representatives of the entity

Sl. No.	Name	Designation	DIN / PAN	E-mail ID

Add row

Delete row

Send OTP

Verify

Attachments				
(c) *Copy of Certificate of Registration		Choose File	Remove	Download
(d) *Copy of PAN of Entity		Choose File	Remov	Downloa
Declaration				
I am authorised by the entity vide resolution numbers	ber*	ated*		
, ,	(DD/MM/YYYY) to sign	this e-form and	declare th	at
the particulars given in the e-form herein above maintained by the Entity.	`			
To be digitally signed by one director in case of so	ection 8/ company; or			
To be digitally signed by one of the Trustee/ CEO	in case of Registered Public T	rust; or		
To be digitally signed by Chairperson/ CEO/ Secr	retary in case of Registered Soc	ciety; or		
To be digitally signed by Authorised Represe Parliament or State Legislature.	ntative in case of Entity est	ablished under	r an Act	of
*To be digitally signed by		DSC BOX	ζ.	
*Designation (Director/Trustee/CEO/Chairperson/ Secretary/A	uthorised Representative)			V
*DIN of the director; or DIN or PAN of the Trusto Secretary or authorised representative of the Ent	•			

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this e-form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this e-form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/ applicant which is subject matter of this e-form and found them to be true, correct and complete and no information material to this e-form has been suppressed. I further certify that:

- 1. The said records have been properly prepared, signed by the required officers/ authorised representatives of the entity and were found to be in order;
- 2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this e-form;
- 3. It is understood that I shall be liable for action under section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

*	To	be	digitally	signed	by
---	----	----	-----------	--------	----

DSC BOX

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	<u>-</u>	9
Chartered accountant (in whole to practice)	ime practice)	O Cost accounta	ant (in whole time
Company secretary (in whole-tim	e practice)		
*Whether associate or fellow			
O Associate	O Fel	llow	
Membership number			
Certificate of Practice number			
			Save
Note: Attention is drawn to provis provide for punishment for false respectively.		-	
For office use only:		_	
e-form Service request number (SRN)			
e-form filing date (DD/MM/YYYY)			
This e-form has been taken on file mode on the basis of statement of co	•	-	0
		[E-F	F. No. 05/03/2022-CSR]
		INDERDEEP SINGH	DHARIWAL, Jt. Secy.
Note: The principal rules was published; vide notification number G.S.R. notification numbers G.S.R. 644(E), d.G.S.R. 540(E), dated the 23 rd May, 20 the 24 th August, 2020, G.S.R. 40(E), d. 2022.	129(E), dated the 28 th F ated the 12 th September, 20 016, G.S.R. 895(E), dated t	Tebruary, 2014 and sub 2014, G.S.R. 43(E), dated the 19 th September, 201	sequently amended by I the 19 th January, 2015, 8, G.S.R. 526(E), dated